तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पत्रावली आज दिनांक 16.11.2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत जौला में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है–

1. यह है कि प्रार्थी सत्यप्रकाश कंजर नु 251(क) के तहत ख.नं. 161 से अपने क्रयशुदा ख.नं. 161/595 तथा ख.नं. 161 पर जाने के लिये रास्ता चाहता है।
2. यह है कि ख.नं. 161 में मदनबाई पत्नि कल्याण कंजर तथा सत्यप्रकाश पुत्र बृजमोहन कंजर दोनो ही सह खातेदार है।
3. यह है कि सहखातेदार मदनबाई पत्नि कल्याण कंजर द्वारा सत्यप्रकाश पुत्र बृजमोहन से अपने खेत में से होकर जाने पर विवाद किया जाता है ।
4. यह है कि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए का ना होकर विभाजन का है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। चूंकि प्रकरण में उल्लेखित ख.नं. 161 में वादी तथा प्रतिवादी सहखातेदार है जिसके कारण प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए का नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत काश्तकार को केवल स्वयं की खातेदारी भूमि के आधार पर रास्ता/मार्ग का सुखाधिकार दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में काश्तकार एक सहखातेदार है न कि खातेदार। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत उक्त प्रकरण में रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा